कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश कमांक 23/344–2001–वि0 I (3) दिनांक चण्डीगढ़ 23.8.2001

अम्बाला पब्लिक स्कूल हिसार रोड़ अम्बाला शहर को केन्द्रीय माध्यमि शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से मैट्रिक स्तर की सम्बधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण प इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय–समय पर जारी की जा वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्याल शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेगें वह विद्यालय को मान्य होगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण प वापिस लिया जा सकता है ।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

पृष्ठांकन कमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 28-8-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाला को उनके पत्र कमांक जी0–2/01/1256 दिनांक 13.8.2001 के सन्दर्भ में ।
2. मुख्याअध्यापक अम्बाला पब्लिक स्कूल हिसार रोड़ अम्बाला शहर।
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षां केन्द्र कम्यूनिटी सैन्टर प्रीत बिहार, नई दिल्ली– 11002.

सहायक निदेशक विद्यालय–I
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ.